<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 24/2023 **दायर दिनांकः 16.08.2023**

उनवान

1. लुकमान अहमद उर्फ हकीम आयु 60 वर्ष पुत्र जमाल जाति मुसलमान निवासी कुन्जैड तहसील अटरू जिला बारां हाल लाखेरी जिला बून्दी (राज०)

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट</u>

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री लक्ष्मीचन्द गौतम
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

<u>आदेश</u> **दिनाकः 13.01.2025**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल कुंजेड तहसील अटरू में खाता संख्या 6 में प्रार्थी संयुक्त खातेदार की हेसियत से खातेदार कृषक है। गांव में प्रार्थी/वादी के पिता की मृत्यु के बाद वर्षो पूर्व खुले इंतकाल में मृतक जमाल के वारिसान के रूप में प्रार्थी/वादी का नाम खाता संख्या 6 ग्राम कुन्जैड में हकीम पुत्र जमाल अंकित किया गया था। गांव में प्रार्थी/वादी को बोलचाल में गांव के लोग हकीम के नाम से पुकारते है। इसलिए प्रार्थी/वादी का नाम इंतकाल जांच में गांव वालों ने प्रार्थी/वादी का नाम हकीम अंकित कर दिया। लेकिन प्रार्थी/वादी का वास्तविक नाम लुकमान अहमद है। प्रार्थी/वादी के समस्त कागजात आधार कार्ड, पार्षद नगरपालिका लाखेरी का प्रमाण पत्र मय राशन कार्ड एवं ग्राम कुन्जैड के ग्रामवासियान द्वारा प्रदत्त शपथ पत्र के आधार पर लुकमान अहमद ही है। प्रार्थी/वादी ने कई बार अप्रार्थी/प्रतिवादी श्रीमान तहसीलदार साहब को अनुरोध किया गया परन्तु प्रार्थी/वादी के नाम में शुद्वी नही की गई। इसलिए वाद दायर करके धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिया गया है तथा राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से श्रीमान तहसीलदार अटरू को इस वाद में आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है। उक्त कृषि भूमि ग्राम कुंजेड तहसील अटरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:30:02 IST
Reason: SelfAttested

में होने से माननीय न्यायालय को वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वादपत्र/प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश है।

अतः माननीय न्यायालय में वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध है कि ग्राम/माल कुंजेड की कृषि भूमि खाता संख्या 6 की जमाबन्दी में प्रार्थी/वादी का नाम हकीम पुत्र जमाल के स्थान पर लुकमान अहमद पुत्र जमाल मोहम्मद (शुद्ध) अंकित करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे ।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2024/3746 दिनांक 18.12.2024 को शामिल फाईल किया गया। अभिभाषक प्रार्थी की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– शपथ पत्र लुकमान अहमद, शपथ पत्र रामगोपाल, शपथ पत्र सिराज भाई, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ग्राम पंचायत कुंजेड प्रमाण पत्र, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल कुंजेड सम्वत 2074–77 खाता संख्या 6, प्रमाण पत्र वार्ड पार्षद नगर नगरपालिका लाखेरी व शपथ पत्र सलीम अहमद का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल कुंजेड तहसील अटरू में खाता संख्या 6 का खसरा न. 1015 का रकबा 4.37 हे0 में सहखातेदार हखीम पुत्र जमाल के स्थान पर लुकमान अहमद उर्फ हकीम पुत्र जमाल मोहम्मद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल कुंजेड तहसील अटरू में खाता संख्या 6 का खसरा न. 1015 का रकबा 4.37 हे0 में सहखातेदार हखीम पुत्र जमाल के स्थान पर लुकमान अहमद उर्फ हकीम पुत्र जमाल मोहम्मद दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:30:02 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 13.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:30:02 IST
Reason: SelfAttested